

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II उ.प्र., प्रयागराज

पत्रांक- ले.ह.-2/03/ 159

दिनांक: 11/06/2021

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 के चतुर्थ त्रैमास के आंकड़ों का मिलान कराने के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक ले.ह.-2/03/110 दिनांक 04.06.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा खंडों के चतुर्थ त्रैमासिक आंकड़ों के मिलान हेतु विभिन्नता विवरण दिनांक 08.06.2021 तक इस कार्यालय में प्राप्त कराने हेतु अनुरोध किया गया था। किन्तु अद्यतन बड़ी मात्रा में विभिन्नता विवरण इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ खंडीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि खंड के चतुर्थ त्रैमासिक आंकड़ों का मिलान / संभावित संशोधन (यदि कोई हो तो) हेतु अंतरण प्रविष्टि इस कार्यालय को 15 जून 2021 तक प्रेषित करें ताकि मार्च पूरक 2021 की लेखाबन्दी में उनको राज्य लेखे में सम्मिलित किया जा सके। अन्यथा कि स्थिति में खंड द्वारा प्रेषित विभिन्नता विवरण का मिलान मार्च 2021 (प्री) मासिक लेखे के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा एवं उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त अंतरण प्रविष्टि को मार्च पूरक लेखा 2021 में शामिल किया जाना संभव नहीं होगा।

यह पत्र उप महालेखाकार/निर्माण महोदया के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

वरि. लेखाधिकारी/नि.स.(प्र.)

पत्रांक- ले.ह.-2/03/ 160, 161, 162

दिनांक: 11/06/2021

प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख अभियंता , लोक निर्माण विभाग , उ.प्र. लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- समस्त अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने खण्ड का चतुर्थ त्रैमासिक विभिन्नता विवरण एवं संभावित संशोधन (यदि कोई हो तो) हेतु अंतरण प्रविष्टि दिनांक 15-06-21 तक इस कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
- 3- समस्त खंडीय अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों से अपने खंड के चतुर्थ त्रैमासिक आंकड़ों का मिलान करा लें तथा आंकड़ों में विसंगति पाये जाने पर संशोधन हेतु अंतरण प्रविष्टियाँ दिनांक 15.06.2021 तक इस कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सहायक लेखा अधिकारी/कंप्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित की इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखाधिकारी/नि.स.(प्र.)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II उ.प्र., प्रयागराज

पत्रांक- ले.ह.-2/03/ 164

दिनांक: 11/06/2021

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 के चतुर्थ त्रैमास के आंकड़ों का मिलान कराने के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक ले.ह.-2/03/111 दिनांक 04.06.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा खंडों के चतुर्थ त्रैमासिक आंकड़ों के मिलान हेतु विभिन्नता विवरण दिनांक 08.06.2021 तक इस कार्यालय में प्राप्त कराने हेतु अनुरोध किया गया था। किन्तु अद्यतन बड़ी मात्रा में विभिन्नता विवरण इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ खंडीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि खंड के चतुर्थ त्रैमासिक आंकड़ों का मिलान / संभावित संशोधन (यदि कोई हो तो) हेतु अंतरण प्रविष्टि इस कार्यालय को 15 जून 2021 तक प्रेषित करें ताकि मार्च पूरक 2021 की लेखाबन्दी में उनको राज्य लेखे में सम्मिलित किया जा सके। अन्यथा कि स्थिति में खंड द्वारा प्रेषित विभिन्नता विवरण का मिलान मार्च 2021 (प्री) मासिक लेखे के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा एवं उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त अंतरण प्रविष्टि को मार्च पूरक लेखा 2021 में शामिल किया जाना संभव नहीं होगा।

यह पत्र उप महालेखाकार/निर्माण महोदया के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

वरि. लेखाधिकारी/नि.स.(प्र.)

पत्रांक- ले.ह.-2/03/ 165, 166, 167

दिनांक: 11/06/2021

प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख अभियंता , सिंचाई विभाग , उ.प्र. लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- समस्त अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने खण्ड का चतुर्थ त्रैमासिक विभिन्नता विवरण एवं संभावित संशोधन (यदि कोई हो तो) हेतु अंतरण प्रविष्टि दिनांक 15-06-21 तक इस कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें ।
- 3- समस्त खंडीय अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों से अपने खंड के चतुर्थ त्रैमासिक आंकड़ों का मिलान करा लें तथा आंकड़ों में विसंगति पाये जाने पर संशोधन हेतु अंतरण प्रविष्टियाँ दिनांक 15.06.2021 तक इस कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सहायक लेखा अधिकारी/कंप्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित की इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखाधिकारी/नि.स.(प्र.)